

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(70/2011)/अलेसे -III/ 212-14

दिनांक :- 12/2/2015

आदेश

श्री मनोहर लाल बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन एवं कार्यालय कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ के द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 07 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (राजस्व) विभाग के ज्ञापन एफ.1(2)एफ.डी.(रूल्स)/06 पार्ट-I दिनांक 22.05.2009 के क्रम में स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	अवैतनिक अवकाश अवधि		अवकाश का कारण
	दिनांक	कुल अवधि	
1.	20.05.2013	01	घरेलू कार्य होने के कारण
2.	27.05.2013 से 29.05.2013 तक	03	घरेलू कार्य होने के कारण
3.	24.07.2013 से 26.07.2013 तक	03	घरेलू कार्य होने के कारण
	Total	07	

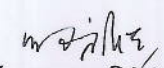

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(70/2011)/अलेसे -III/ 212-14

दिनांक :- 12/2/2015

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 8146 दिनांक 05.01.2015 के क्रम में श्री मनोहर लाल बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार को स्वीकृत असाधारण अवकाश का सेवा पुस्तिका में आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री मनोहर लाल बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) कार्यालय हाजा को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)